भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर , कोलकाता क्षेत्र
CENTRAL GOODS SERVICE TAX AND CENTRAL EXCISE, KOLKATA ZONE
वस्तु एवं सेवा कर भबन, दुसरा तल, 180, शांतिपल्ली, आर. बी. कानेक्टर, कोलकाता – 700 107
GST Bhawan (2nd Floor), 180 Shanti Pally, R. B. Connector, Kolkata – 700 107
Phone No. 033-2441-6797/6842 :: Fax No. 033- 2441-6834/6798 :: Email: adc-cco-cgst-kol@gov.in

F.No: ADMIN/C-I/3/2023-CCA-O/o Pr CC-CGST-ZONE-KOLKATA / 3561-3574 Date: 13/06/2024

To

The Additional/Joint Commissioner of CGST&CX,
Kolkata North / Kolkata South / Howrah / Haldia / Bolpur / Siliguri / Audit Kolkata-I / Audit Kolkata-II / Audit Durgapur / Appeal Kolkata-I / Appeal Kolkata-II & Appeal Siliguri Commissionerate.

The Additional/Joint Commissioner of Customs (Prev.), West Bengal, Kolkata.

Sir / Madam,

Subject:- **information letter for officers desirous of posting on loan basis in the grade of superintendent/Appraiser in the regional campus of the National academy of Customs,Indirect Taxes and Narcotics, Jaipur-reg.**

Please find enclosed a copy of letter dated 22.05.2024, receivedfrom the Principal Additional General,O/o The Additional Director, National Academy of Customs , Indirect Taxes and Narcotics, Zonal campus, Jaipur.
on the above mentioned subject.

In this connection, it is requested to circulate the above letter to all concerned for information and to forward the panels of the willing / eligible officers which are complete in every respect, to this office **as early as possible**, for further necessary action at this end

Encl: As above.

Yours faithfully

Amit Bhardwaj
Joint Commissioner (CCA)
Pr. Commissioner's Office
CGST & CX Kolkata Zone

C. No. - As above/

Copy is forwarded to:-

Superintendent (Systems), Kolkata South Commissionerate, Kolkata CGST&CX Zone, for uploading the Circular in the official website.

Assistant Commissioner(CCA)

कार्यालय अपर महानिदेशक
O/o The Additional Director General
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, क्षेत्रीय परिसर जयपुर
NACIN, Zonal Campus Jaipur
117, संतोष नगर, सिविल लाईन्स मेट्रो स्टेशन के पास, अजमेर रोड़, जयपुर-302006
(Mail ID–nacinzti-jai-rj@gov.in; Tel.No.0141-2225001-4, Fax No.0141-2225002)

27 MAY 2024
प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Principal Chief Commissioner
सी.जी.एस.टी. एवं सी.एक्स, कोलकाता, ज़ोन
CGST & CX, KOLKATA ZONE

सेवा में

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं सीजीएसटी
2. सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक, सीबीआईसी
3. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क एवं सीजीएसटी

महोदया/महोदय,

विषय: राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी, जयपुर के क्षेत्रीय परिसर में अधीक्षक / मूल्यांकक के ग्रेड में ऋण के आधार पर तैनाती हेतु इच्छुक अधिकारियों के लिए सूचना पत्र के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, जयपुर के क्षेत्रीय परिसर में ऋण आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्रम. सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	**अधीक्षक / मूल्यांकक**	2

2. जी.एस.टी. एवं सीमा शुल्क संरचनाओं और सी.बी.आई.सी. के अंतर्गत निदेशालयों से समान वेतनमान व समरूप पदस्थ अधिकारियों में से यह पद ऋण के आधार पर भरा जाएगा।

3. **प्रारंभ में ऋण की अवधि दो वर्ष के लिए होगी एवं इसे संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की सहमति से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।** इसके अतिरिक्त,बोर्ड के पत्र फ़ा.सं A-11013/12/2019-Ad IV दिनांकित 27.05.2020 के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों एवं न्यायोचित कारणों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिकारियों के कार्यकाल को 3 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है।

4. इच्छुक अधिकारियों के आवेदन संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रधान अपर महानिदेशक, जयपुर को ई-मेल आईडी (nacinzti-jai-rj@gov.in) पर **पिछली तैनातियों के विवरण, पिछले 3 वर्षों तक की अपार ग्रेडिंग, सतर्कता प्रमाण पत्र और संबंधित सी.सी.ए.(CCA) से 21.06.2024 तक के "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के साथ अग्रेषित किए जा सकते हैं। क्षेत्रीय सीसीए से 'एनओसी'के बिना अग्रेषित आवेदनों की अग्रिम प्रतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

5. नासिन, जयपुर में नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी महानिदेशक, नासिन के आदेश F.No.NACIN/II/7/1/2023 दिनांक 11.09.2023 के अनुसार उनके मूल वेतन के 24% की दर से प्रशिक्षण भत्ते के हकदार हैं।

6. अधिकारी का कार्य और आचरण असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में, ऋण अवधि के पूर्ण होने से पूर्व भी अधिकारी को उनके मूल कार्यालय में वापस भेजा जा सकता है।

7. चयनित अधिकारी को अपने/ अपनीआवास की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

8. नियमानुसार, चयनित अधिकारी अपना वेतन एवं अन्य भत्ते अपने मूल कार्यालय से प्राप्त करते रहेंगे।

9. अनुरोध किया जाता है कि इस सूचना पत्र को आपके आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत पात्र अधिकारियों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए।

भवदीय,

Signed by Sanjay Gupta
Date: 22-05-2024 16:00:53

(संजय गुप्ता)
प्रधान अपर महानिदेशक

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक, नासिन पालासमुन्द्रम /फ़रीदाबाद,
2. वेबमास्टर, सीबीआईसी से अनुरोध है कि इस सूचना पत्र को विभागीय अधिकारियों- रिक्ति परिपत्रों के तहत सीबीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करें।